

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District
(जिला):

ACB DISTRICT

P.S.
(थाना):

C.P.S Jaipur

Year
(वर्ष):

2024
2. FIR No.
(प्र.सू.रि.सं.):

0269

Date and Time of FIR
(एफआईआर की तिथि/समय):

20/11/2024 17:18 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन

Date From
(दिनांक से): 22/07/2024

Date To
(दिनांक तक): 23/07/2024

Time Period
(समय अवधि): पहर

Time From
(समय से): 16:25 बजे

Time To
(समय तक): 19:26 बजे

(b) Information received at P.S.
(थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date
(दिनांक): 20/11/2024

Time
(समय): 15:00 बजे

(c) General Diary Reference
(रोजनामचा संदर्भ) :

Entry No.
(प्रविष्टि सं.): 001

Date & Time
(दिनांक एवं समय): 20/11/2024 17:18:52 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार):

लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S.
(थाने से दिशा और दूरी):

WEST, 174 किमी

Beat No.
(बीट सं.):

NOT APPLICABLE

(b) Address(पता):

GRAM PHULIA KALA, P.S.PHULIA KALA DIST. SHAHPURA

(c In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S
(थाना का नाम):

District(State)
(जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): MAHESH KUMAR SEN

(b) Father's Name (पिता का नाम): RAMGOPAL SEN

(c) Date/Year of Birth
(जन्म तिथि/ वर्ष): 1996

(d) Nationality(राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

(जारी करने की तिथि):

Place of Issue

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	PHULIA KALA, PHULIA KALA, शाहपुरा, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	PHULIA KALA, PHULIA KALA, शाहपुरा, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number
(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	KHUSHIRAM JAT		पिता:RAM AVTAR JAT	1. POST LAMBAKALA,GRAM KALANADA,TODARAYSINGH, केकड़ी,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		8,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 8,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय दिनांक 22.07.2024 समय 04.25 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ब्रजराज सिंह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा-द्वितीय ने परिवादी श्री महेश कुमार सेन पुत्र श्री रामगोपाल सेन निवासी फुलियाकंला जिला शाहपुरा द्वारा पेश हस्तलिखित रिपोर्ट मुझ पुलिस निरीक्षक को आवश्यक कार्यवाही का पृष्ठांकन कर मय परिवादी महेश कुमार सेन के सुपुर्द की। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री महेश कुमार सेन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढ़कर परिवादी को सुनाई गई तो परिवादी ने रिपोर्ट में अंकित तथ्यों का सही होना व रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना बताया। रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री महेश कुमार सेन से दरियास्त की गई तो परिवादी ने बताया कि मैंने ग्राम फुलियाकंला में श्री गणेश पुत्र गोविन्द पंचोली से आ.स. 6047/2742 रकबा 0.15 हैक्टर मे 39/300 हिस्सा व आराजी संख्या व 6050/2743 रकबा 0.06 हैक्टर में से 39/120 हिस्सा दिनांक 31.10.2023 को क्रय किया गया था जिस पर मेरे द्वारा उक्त दोनो आराजियात की लगभग 7 बिस्वा भूमि क्रय की गई थी। मेरे उक्त भूमि का बंटवारा करने के लिए मैं श्री खुशीराम जाट पटवारी पटवार हल्का फुलियाकंला से मिला तथा बंटवारे से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज पटवारी साहब को दे दिये थे। आज से 10-15 दिन पूर्व मेरे सह-खातेदार श्री महादेव जाट निवासी फुलियाकंला श्री रामधन जाट निवासी फुलियाकंला व मैं जाकर पटवारी साहब से मिले तो उन्होने मेरे व सह-खातेदारो के बंटवारे से सम्बन्धित दस्तावेजो पर हमारे तीनों के हस्ताक्षर करवाये उसके बाद मेरे दोनो खातेदारो को पटवारी साहब ने रवाना करने के बाद मेरे से पटवारी साहब ने प्रत्येक खातेदार मैं व श्री महादेव जाट श्री रामधन जाट प्रति खातेदार 4500 रुपये कुल 13500 रुपये रिश्वत की मांग की। पटवारी साहब ने मेरे का कहा कि मैं तुम्हारा बंटवारा तहसील से करवा दूंगा। इसके लिए 13500 रुपये खर्चे पानी के लगेंगे। परिवादी ने दरियास्त पर बताया की मेरे व पटवारी साहब के मध्य कोई उधार का लेन-देन बकाया नहीं है ना ही कोई राजकीय राशि बकाया है। मेरे व श्री खुशीराम जाट पटवारी के मध्य कोई आपसी रंजिष नहीं है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दरियास्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होने से समय 04.45 पी.एम पर मालखाना प्रभारी श्री प्रहलाद कुमार सहायक उप निरीक्षक चौकी द्वितीय से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय खाली नया मेमोरी कार्ड मंगवाया/निकलवाकर परिवादी को वाईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझाईश की गई। इसके उपरान्त श्री प्रेमराज कानि0 नम्बर 225 को बुलाकर परिवादी का परिचय करवाया गया। परिवादी व कानि0 श्री प्रेमराज के मोबाईल नंबरो का आदान प्रदान करवाया गया। परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाने के लिए कहा तो परिवादी ने बताया कि पटवारी साहब आज नहीं मिलेंगे कल दिनांक 23.07.2024 को मुझे पटवारी साहब ने बुलाया है। मैं कल दिनांक 23.07.2024 को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवा दूंगा जिस पर परिवादी को हिदायत दी गई की व कल दिनांक 23.07.2024 को प्रातः 10.00 बजे बस स्टेण्ड फुलियाकंला पर मौजूद मिले कानि0 प्रेमराज को कल दिनांक 23.04.2024 को बस स्टेण्ड फुलियाकंला पर परिवादी श्री महेश कुमार सेन से मिलने के लिए पाबंद किया गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय खाली नया मेमोरी कार्ड को कार्यालय के मालखाने मे पुनः रखने हेतु श्री प्रहलाद कुमार पारीक ए.एस.आई को सुपुर्द किया जाकर मालखाने मे रखवाया गया। परिवादी को कल दिनांक 23.07.2024 को समय 10.00 ए.एम. पर बस स्टेण्ड फुलियाकंला जिला शाहपुरा पर मौजूद मिलने की व गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत मुनासिब कर ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया। दिनांक 23.07.2024 को समय 08.30 ए.एम पर मालखाना प्रभारी श्री प्रहलाद कुमार पारीक सउनि से कार्यालय के मालखाने में से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय खाली नया मेमोरी कार्ड निकलवाकर कानि0 श्री प्रेमराज नम्बर 225 को सुपुर्द किया जाकर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाने की हिदायत देकर फुलियाकंला रवाना किया गया। समय 07.26 पी.एम पर श्री प्रेमराज कानि0 ने जरिये दूरभाष मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि परिवादी ने अपने काम के सम्बन्ध मे पटवारी से वार्ता की व रिश्वत राशि के बारे मे बातचीत की जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे है। परिवादी के बताये अनुसार रिश्वत राशि मांग का सत्यापन हो चुका है तथा परिवादी के आवश्यक कार्य होने से अभी मेरे साथ एसीबी कार्यालय भीलवाडा द्वितीय मे आने मे असमर्थता जाहिर कर रहा है। जिस पर कानि0 प्रेमराज को बताया परिवादी को ग्राम फुलियाकंला मे छोडकर कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लेकर कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु निर्देश दिये गये। दिनांक 24.07.2024 समय 08.30 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक को प्रेमराज कानि0 ने रिश्वत राशि मांग सत्यापन

वार्ता का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्रस्तुत करते हुए बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं कार्यालय से रवाना होकर ग्राम फुलियाकलां बस स्टेण्ड पर पहुँचा जहाँ पर समय 11.00 बजे परिवादी मेरे पास आया परिवादी ने पटवारी से वार्ता की तो पटवारी ने बताया कि मैं आवश्यक राजकार्य से सर्कल में आया हूँ। वापस कार्यालय पहुँचकर आपको फोन करता हूँ। जिस पर मैं व परिवादी दोनों बस स्टेण्ड के आस पास सुरक्षित स्थान पर मुक़िम रहे। पटवारी ने समय करीब 06.45 पी.एम. पर परिवादी को फोन किया कि मैं सरकारी निवास फुलियाकलां पर आ गया हूँ। आप भी मेरे सरकारी निवास पर ही आ जाओ यही बैठकर बात कर लेते हैं। जिस मैं व परिवादी दोनों सुरक्षित स्थान से रवाना होकर पटवारी के सरकारी निवास स्थान से थोड़ी दूर पहले परिवादी को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड को चालुकर सुपुर्द किया जाकर परिवादी को रिश्तत राशि मांग का सत्यापन करवाने हेतु रवाना किया। करीब 15 मिनट पश्चात परिवादी पुनः मेरे पास आया जिसने चालु डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर प्रस्तुत किया। मैंने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर लेकर बंद किया। परिवादी ने बताया कि मेरी पटवारी साहब से वार्ता हो गई है। पटवारी साहब ने मेरा कार्य करवाने के लिए मेरे से 8000 रुपये रिश्तत की मांग की। इसके पश्चात मैंने आपको जरिये मोबाईल हालात निवेदन किये तथा आपके निर्देशानुसार परिवादी को फुलियाकलां में ही रूखस्त कर मैं डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लेकर कार्यालय उपस्थित हुआ हूँ। श्री प्रेमराज कानि0 द्वारा प्रस्तुत डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालुकर सुना गया तो रिश्तत राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया। दर्ज वार्ता अनुसार पटवारी ने परिवादी की व्यवस्था अनुसार रिश्तत राशि लेना तय किया। आईन्दा परिवादी के आने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। रिश्तत राशि मांग सत्यापन वार्ता का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड श्री प्रहलाद कुमार पारीक सउनि से कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। दिनांक 29.07.2024 समय 08.00 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक को कानि0 प्रेमराज ने जरिये फोन बताया कि अभी परिवादी से मेरी वार्ता हुई है और उसने बताया कि आज फुलियाकलां ग्राम में किसी व्यक्ति की हत्या हो गई थी और कानून व्यवस्था बाधित होने से बाजार बंद थे जिस कारण मैं आरोपी की लोकेशन की जानकारी नहीं ले पाया। एक-दो दिन में जब भी पटवारी उसके कार्यालय में उपस्थित होगा उसी दिन में रिश्तत राशि की व्यवस्था कर आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउगा। दिनांक 30.07.2024 समय 08.00 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से दूरभाष वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि मेरे मामा जी के धनोप माता जी रसोई का कार्यक्रम होने से हम परिवारजन उसी कार्यक्रम में व्यस्त होने की वजह से आज मैं आपके कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। मैं कल दिनांक 01.08.2024 का समय 11.00 ए.एम. पर रिश्तत राशि की व्यवस्था कर कार्यालय में उपस्थित हो जाउगा। दिनांक 01.08.2024 समय 10.32 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी श्री महेश कुमार सेन ने जरिये मोबाईल फोन पर बताया कि पटवारी साहब ने आज रिश्तत राशि लेकर बुलाया है। जिस पर परिवादी को रिश्तत राशि साथ लेकर एसीबी कार्यालय भीलवाड़ा द्वितीय में पहुँचने की हिदायत दी गई। समय 10.35 ए.एम पर परिवादी से हुई मोबाईल वार्ता अनुसार आज दिनांक को ट्रेप कार्यवाही की जानी है। ट्रेप कार्यवाही में दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से ए.एस.आई श्री प्रहलाद कुमार को श्रीमान अधीक्षण अभियंता अ. वि.वि.नि.लि. भीलवाड़ा से लाने की हिदायत दी गई। समय 12.30 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक एसीबी चौकी भीलवाड़ा प्रथम से रवाना होकर एसीबी चौकी भीलवाड़ा द्वितीय पहुँची जहाँ पर परिवादी श्री महेश कुमार सेन कार्यालय में उपस्थित मिला परिवादी ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि दिनांक 23.07.2024 को समय 11 ए.एम. पर श्री प्रेमराज जी मेरे को बस स्टेण्ड फुलियाकलां पर मिले मैंने पटवारी साहब की लोकेशन की जानकारी करने हेतु उनके मोबाईल पर वार्ता की तो उन्होंने बताया कि मैं राजकार्य से सर्कल में व्यस्त हूँ वापस कार्यालय में आने पर आपको फोन करता हूँ पटवारी साहब के फोन के इन्तजार में सुरक्षित स्थान पर मुक़िम रहे। पटवारी साहब ने समय करीब 06.28 पी.एम. पर मुझे मोबाईल पर फोन किया कि मैं सरकारी निवास फुलियाकलां पर आ गया हूँ आप भी मेरे सरकारी निवास पर ही आ जाओ यही बैठकर बात कर लेते हैं। जिस पर मैं व प्रेमराज जी दोनों सुरक्षित स्थान से रवाना होकर पटवारी साहब के सरकारी निवास स्थान थोड़ी दूर पहले तालाब की पाल के पास प्रेमराज जी ने मुझे डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड को चालु कर मुझे सुपुर्द किया। मैं पटवारी साहब के पास उनके सरकारी आवास में जाकर उनसे मेरे कार्य के सम्बन्ध में बातचीत की तो पटवारी साहब ने मेरे कार्य करवाने के लिए मेरे से 8000 रुपये रिश्तत राशि की मांग की जो आपके रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई। इसके बाद मैं पटवारी साहब के निवास स्थान से निकलकर बाहर आ गया था और जहाँ पर प्रेमराज जी खड़े थे उनको मैंने चालू डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर प्रस्तुत किया जिसको प्रेमराज जी ने बंद कर अपने पास रखा था और मैंने उनको मांग सत्यापन से संबन्धित हालात बताये। इसके पश्चात प्रेमराज जी ने मेरे सामने आपसे जरिये मोबाईल वार्ता कर हालात निवेदन किये थे। श्री प्रेमराज जी ने मुझे फुलियाकलां पर ही छोड़कर भीलवाड़ा के लिये रवाना हो गये थे। इसके साथ ही परिवादी ने बताया कि आज रिश्तत राशि दी जानी है। रिश्तत राशि मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। परिवादी को कार्यालय में बैठाया गया। समय 12.50 पी.एम पर श्री प्रहलाद कुमार पारीक ए.एस.आई मय दो स्वतन्त्र गवाहान को लेकर आया जिनको मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देकर उनसे उनका परिचय पूछा तो एक ने अपना नाम श्री राहुल तिवाड़ी पुत्र श्री मोहन लाल शर्मा निवासी मकान नम्बर 50 राधाकृष्ण मन्दिर के पास विवेकानन्द कॉलोनी भीलवाड़ा हाल कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय लेखाधिकारी अ.वि.वि.नि.लि.-भीलवाड़ा एवं दूसरे ने अपना नाम श्री अभिषेक शर्मा पुत्र श्री

जगदीश चन्द्र शर्मा निवासी- म0न0 ए-142 जैन ज्योति सांगानेर रोड भीलवाडा हाल-वाणिज्यिक सहायक कार्यालय अधिशाषी अभियंता (सर्तकता) अ.वि.वि.नि.लि.-भीलवाडा होना बताया था जिस पर परिवारी श्री महेश कुमार सेन एवं दोनो गवाहान का आपस मे परिचय करवाया गया। तत्पश्चात् दोनो गवाहान को परिवारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया तथा पढाया गया। परिवारी के प्रार्थना पत्र पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। मालखाना से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का डिजीटल वॉर्डस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मंगवाकर दोनो गवाहान को चालू कर सुनाया गया । दोनो गवाहान को की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही मे बतौर स्वतन्त्र गवाहान रहने की सहमति चाही गई जिस पर दोनो गवाहान ने ट्रेप कार्यवाही मे बतौर गवाहान उपस्थित रहने की सहमति प्रदान की गई। डिजीटल वॉर्डस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को पुनः कार्यालय के मालखाना मे रखवाया गया। समय 03.15 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय मे उपस्थित परिवारी श्री महेश कुमार सेन निवासी फुलियां कला जिला शाहपुरा को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवारी ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रुपये के 16 नोट कुल 8000 रुपये प्रस्तुत किये नोटों पर मुद्रित नम्बरों को फर्द में अंकित किया गया तत्पश्चात कार्यालय के मालखाना से फिनोल्फथलीन पाउडर की शीशी को श्री विनय प्रताप सिंह कनिष्ठ सहायक से निकलवाकर उपरोक्त नोटों के दोनों ओर श्री विनय प्रताप सिंह से फिनोल्फथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवारी श्री महेश कुमार सेन की जामा तलाशी गवाह श्री राहुल तिवाड़ी हाल कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय लेखाधिकारी अ.वि.वि.नि.लि.-भीलवाडा से लिवाई जाकर कोई वस्तु नही छोडते हुए पाउडर लगे नोटों को श्री विनय प्रताप सिंह से परिवारी की पहनी हुई पैंट की दाहिनी जेब में रखवाये गये। तत्पश्चात श्री रामेश्वर लाल कानि. 250 से एक साफ प्लास्टिक के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर हाजरिन को दिखाया गया तो हाजरिन ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्री विनय प्रताप सिंह की अंगुलियों अंगूठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार मन् पुलिस निरीक्षक ने हाजरिन के समक्ष फिनोल्फथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि आरोपी द्वारा परिवारी से रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात उक्त प्रक्रिया अपनाई जायेगी जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री विनय प्रताप सिंह से कार्यालय से बाहर फिकवाकर फिनोल्फथलीन पाउडर की शीशी को श्री विनय प्रताप सिंह से कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाई गई तथा फिनोल्फथलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये सफेद कागज को जलाकर नष्ट करवाया गया। प्लास्टिक की गिलास को हाजरिन के समक्ष जलाकर नष्ट की गई। परिवारी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोडकर अभिवादन करे। परिवारी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा रिश्वत राशि देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करे। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियों डक्कन चम्मच इत्यादि को श्री रामेश्वर लाल कानि0 से साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवारी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करें। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। फर्द दृष्टान्त फिनोल्फथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 03.40 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक कल्पना मय श्री गोपाल जोशी स.उ.नि. मय स्वतन्त्र गवाहान श्री राहुल तिवाड़ी श्री अभिषेक शर्मा मय सरकारी वाहन बोलेरो मय वाहन चालक विनोद कुमार मय टेप बॉक्स व डिजीटल वॉर्डस रिकॉर्डर मय नया खाली मेमारी कार्ड लेपटॉप प्रिन्टर व अन्य टेप सामग्री एवं श्री प्रेमराज कानि0 225 श्री रामेश्वरलाल कानि0 250 श्री अशोक कुमार मय परिवारी श्री महेश कुमार सेन को प्राईवेट वाहन से आगे रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के ट्रेप कार्यवाही हेतु फुलियाकला की ओर रवाना हुई। समय 05.40 पी.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस कल्पना मय हमराहीयान के उपरोक्त का रवाना शुदा फुलियाकला से पहले इण्डियन ऑयल कम्पनी के पेट्रोल पम्प के पास पहुंचे जहां पर वाहनों को साईड मे खडा करवा परिवारी को आरोपी की लोकेशन के बारे मे जानकारी करने हेतु कहा गया तो परिवारी ने अपने मोबाईल से आरोपी को फोन लगाकर वार्ता की तो आरोपी ने बताया कि मैं राजकार्य से शाहपुरा आया हूं। आप कल आ जाना। चूंकि आरोपी ने परिवारी को बाहर जाना बताया है तथा कल आने के लिए कहा है। ऐसी स्थिति मे परिवारी को सुपुर्द रिश्वत राशि 8000 रुपये श्री रामेश्वर लाल कानि0 से निकलवाकर एक लिफाफे मे रखवाकर उसके पास सुरक्षित रखवाई गई। श्री रामेश्वर लाल कानि0 के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। समय 06.00 पी.एम पर परिवारी को हिदायत दी गई कि आरोपी जब भी फुलियाकला आये तो तुरन्त मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करावें। परिवारी को गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रूखसत किया गया। समय 06.05 पी.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस कल्पना मय हमराहीयान रिश्वत राशि के मय सरकारी वाहन मय चालक एवं प्राईवेट वाहन के फुलियाकला से एसीबी कार्यालय भीलवाडा द्वितीय के लिये रवाना होकर समय 08.30 पी.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस कल्पना मय हमराहीयान के मय सरकारी वाहन मय चालक एवं

प्राइवेट वाहन के एसीबी कार्यालय भीलवाड़ा द्वितीय पर पहुंचकर रिश्तत राशि 8000 रुपये श्री रामेश्वर लाल कानि से कार्यालय के मालखाना मे रखवाकर श्री रामेश्वर लाल के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। डिजीटल बॉईस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड को मालखाना में रखवाया गया। समय 08.40 पी.एम पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री अभिषेक शर्मा व श्री राहुल तिवाड़ी को गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर कल दिनांक 02.08.2024 को समय 10.00 ए.एम. पर इस कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया। दिनांक 02.08.2024 समय 11.50 ए.एम पर पाबन्द शुदा दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री अभिषेक शर्मा व श्री राहुल तिवाड़ी कार्यालय मे उपस्थित आये जिनको कार्यालय मे बैठाया गया। समय 12.05 पी.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को जरिये मोबाईल फोन वार्ता की तो परिवादी श्री महेश कुमार सेन ने बताया कि पटवारी साहब पटवार घर पर नही आये है मैंने जानकारी की तो वे तहसील फुलियाकंला मे बैठे हुए है। आप लोग आ जाओ। मैं तहसील कार्यालय मे जाकर रिश्तत राशि दे दूंगा। जिस पर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह समय 03.30 पी.एम. पर फुलियाकंला गांव से पूर्व धनोप माता जी वाले रास्ते पर उपस्थित मिलें। समय 01.45 पी.एम पर मालखाना में से पाउडरयुक्त रिश्तत राशि 8000 रुपये श्री प्रहलाद कुमार पारीक सउनि से निकलवाकर उसके पास सुरक्षित रखवाई गई। श्री गोपाल जोशी स.उ.नि. मय श्री प्रहलाद कुमार पारीक स.उ.नि. मय रिश्तत राशि श्री रामेश्वर लाल कानि 250 श्री शिवराज कानि 235 मय सरकारी वाहन बोलेरो मय वाहन चालक विनोद कुमार मय टेम्प बॉक्स व डिजीटल बॉईस रिकोर्डर मय नया खाली मेमोरी कार्ड लेपटॉप प्रिन्टर व अन्य टेम्प सामग्री के आगे रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक कल्पना मय दोनो गवाह श्री राहुल तिवाड़ी श्री अभिषेक शर्मा प्रेमराज कानि 225 श्री अशोक कुमार कानि प्राइवेट वाहन से ट्रैप कार्यवाही हेतु फुलियाकंला की ओर रवाना हुई। समय 03.30 पी.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस कल्पना मय हमराहीयान के उपरोक्त का रवाना शुदा फुलियाकंला से 02 कि.मी. पहले धनोप माता जी वाले रोड पर पहुँचें जहाँ पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी उपस्थित मिला जहाँ पर परिवादी ने बताया कि आज गांव फुलियाकंला मे दिन भर रूक रूककर बारीश होने के कारण पटवारी साहब पटवार घर पर नही आये है। जिस पर परिवादी को मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी की लोकेशन के बारे जानकारी लेने हेतु कहा गया तो परिवादी ने अपने मोबाईल नंबर से आरोपी के मोबाईल पर वार्ता कर मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि पटवारी साहब ने मुझे कहा कि मैंने तुम्हारे को कब बुलाया मैं अभी बाहर जा रहा हूँ आउंगा तब बात करूंगा। जिस पर आईन्दा अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। समय 04.00 पी.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस कल्पना मय हमराहीयान मय परिवादी मय सरकारी वाहन मय चालक एवं प्राइवेट वाहन मय रिश्तत राशि 8000 रुपये के फुलियाकंला से एसीबी कार्यालय भीलवाड़ा द्वितीय के लिये रवाना होकर समय 06.15 पी.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस कल्पना मय हमराहीयान एसीबी कार्यालय भीलवाड़ा द्वितीय पर पहुंचकर रिश्तत राशि 8000/- रुपये श्री प्रहलाद कुमार पारीक सहायक उप निरीक्षक से मालखाने मे रखवाई गई। समय 06.30 पी.एम 09.30 पी.एम. तक पर कार्यालय के मालखाना से रिश्तत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 23.07.2024 के बॉईस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड को श्री प्रहलाद कुमार पारीक स.उ.नि. से निकलवाकर रिश्तत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 23.07.2024 जो परिवादी श्री महेश कुमार सेन व श्री खुशीराम जाट के मध्य हुई रिश्तत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो ब्यूरो के मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं जिस पर डिजीटल बॉईस रिकोर्डर को चालुकर गवाहान व परिवादी के समक्ष लेपटॉप से कनेक्ट कर शब्द व शब्द सुन श्री अशोक कुमार कानि0 से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये। उक्त वार्ता के तीन पेनड्राईव तैयार करवाये गये जिसमें से दो पेनड्राईव को पृथक पृथक कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क A-1, A-2 अंकित किया जाकर कपडे की थैली पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक पेनड्राईव को अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे रखकर मार्क A-3 अंकित किया गया। रिश्तत राशि मांग सत्यापन के मेमोरी कार्ड की श्री अशोक कुमार कानि0 से हैसवैल्यू निकलवाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कार्यवाही की गई। समय 09.40 पी.एम पर मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 23.07.2024 मे परिवादी श्री महेश कुमार सेन व आरोपी श्री खुशीराम जाट के मध्य हुई वार्ता का मूल मेमोरी कार्डस Sandisk 32 Gb कम्पनी को उसी मेमोरी कार्ड के कागज के कवर में रख कर सफेद कपडे की थैली में रखकर मार्क M अंकित कर सिल चिटकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से तैयार की गई थी जिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये। समय 10.00 पी.एम पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को दौराने ट्रैप कार्यवाही उपयोग में ली गई ब्रास-सील का अवलोकन करवाकर फर्द पर नमूना सील अंकित कर ब्रास सील को कार्यालय परिसर के बाहर पत्थर से तुड़वाई जाकर नष्ट की गई तथा कार्यवाही की फर्द नमूना व नाशानी सील पृथक से तैयार की गई थी जिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरान्त समय 10.15 पी.एम पर जब्तशुदा पैन ड्राईव मार्क A-1, A-2 एवं मार्क A-3 तथा मूल मेमोरी कार्ड मार्क- M को मालखाना इन्चार्ज श्री प्रहलाद कुमार स.उ.नि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। समय 10.20 पी.एम पर पेन ड्राईव बनाने के सम्बन्ध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63 (4) (ग) का प्रमाण पत्र तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। समय 10.40 पी.एम पर परिवादी श्री महेश कुमार सेन व दोनो गवाहान श्री राहुल तिवाड़ी व श्री अभिषेक शर्मा को आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया गया। दिनांक 14.08.2024 समय 03.46 पी.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री महेश कुमार सेन के मोबाईल नंबर फोन कर वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि मेरी दुकान के पास ही चाय की दुकान है। जहाँ पर पटवारी

साहब चाय पीने आये तो मैं पटवारी साहब से मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी बंटवारे की पत्रावली मैंने अपनी रिपोर्ट कर तहसीलदार फुलियाकला पर भिजवा दी है। तुम तहसीलदार फुलियाकला से जाकर मिल लेना मैंने रिश्तत राशि के संबंध में वार्ता करी तो उन्होंने मेरे से पैसे के संबंध में वार्ता करने से मना कर दिया तथा मुझे कहा कि मैंने तुम्हारा काम कर पत्रावली तहसील फुलियाकला पर भिजवा दी है। मेरे पास तुम्हारा कोई काम लम्बित नहीं है। इतना कह कर पटवारी साहब चाय की दुकान से चले गये। परिवारी ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि शायद पटवारी साहब को शंका हो गई है। अब वे मेरे से रिश्तत राशि ग्रहण नहीं करेंगे। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने परिवारी को हिदायत दी कल दिनांक 15.08.2024 को कार्यालय में उपस्थित हों। जिस पर परिवारी ने कहा कि मेरे अभी राखी का सिजन चल रहा है। मैं राखी के दो-तीन दिन बाद कार्यालय में उपस्थित हो जाऊंगा। दिनांक 22.08.2024 समय 12.05 पी.एम पर परिवारी श्री महेश कुमार सेन ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया और मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि मैं कल दिनांक 21.08.2024 को तहसीलदार फुलियाकला से जाकर मिला तथा उनको मेरी पत्रावली के बारे में पूछा तो तहसीलदार साहब ने मुझे कहा कि तुम्हारी कौन सी पत्रावली है जिस पर मैंने कहा कि मेरे बंटवारे की पत्रावली है पटवारी साहब खुशीराम जी ने तहसील में आप के पास भिजवाने की बताया है जिस पर तहसीलदार साहब ने कहा कि पटवारी साहब से बात करो जिस पर मैंने मेरे मोबाईल से पटवारी साहब को फोन लगाया तो पटवारी साहब ने मेरा फोन नहीं उठाया जिस पर तहसीलदार साहब ने कहा कि मैं उनसे बात कर बता दूंगा। उसके बाद मैं तहसील से मेरी दुकान पर आ गया। शाम को समय 07.20 पीएम पर पटवारी साहब खुशीराम जी का मेरे मोबाईल पर फोन आया जिनका मैंने मेरे कार्य की पत्रावली के बारे में पूछा तथा तहसीलदार साहब के बारे में कहा तो उन्होंने कहा कि मैंने आप की पत्रावली तहसीलदार साहब को मार्क कराके दे दी है। मैं अभी अरबड़ हूँ फुलियाकला अभी नहीं आऊंगा। पटवारी साहब खुशीराम जाट को शंका हो गई है अब वो मेरे से रिश्तत राशि ग्रहण नहीं करेंगे। परिवारी ने रिश्तत राशि लौटाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। चूंकि परिवारी के बताये अनुसार अब टेम्प कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। अतः मालखाना प्रभारी श्री मधुसुदन से रिश्तत राशि 8000/- रु मालखाना में से निकलवा कर परिवारी को नियमानुसार सुपुर्द कर रसीद प्राप्त की गई। समय 02.00 पी.एम पर परिवारी श्री महेश कुमार सेन को आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया गया। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री खुशीराम जाट तत्कालीन पटवारी पटवार हल्का फुलियाकला तहसील फुलियाकला जिला-शाहपुरा हाल पटवारी पटवार हल्का अरबड़ तहसील फुलियाकला जिला-शाहपुरा द्वारा एक लोक सेवक होते हुए परिवारी श्री महेश कुमार सेन की ग्राम फुलियाकला में श्री गणेश पुत्र गोविन्द पंचोली से आ.स. 6047/2742 व 6050/2743 में से 7 बिस्वा भूमि को औद्योगिकी में परिवर्तन करवाने हेतु पत्रावली लगाने के लिये उक्त भूमि का परिवारी व अन्य खातेदारों का आपस में बंटवारा करने के लिये पटवारी श्री खुशीराम जाट द्वारा परिवारी से प्रत्येक खातेदार से 4500/- रुपये के हिसाब से कुल 13500 रु रिश्तत की मांग की गई। दिनांक 23.07.2024 को रिश्तत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया। रिश्तत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 23.07.2024 में आरोपी खुशीराम जाट पटवारी द्वारा 8000 रुपये रिश्तत राशि की मांग करना पाया जाने से आरोपी श्री खुशीराम जाट तत्कालीन पटवारी पटवार हल्का फुलियाकला तहसील फुलियाकला जिला शाहपुरा के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018 के नियम संख्या 16) का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया जाता है। अतः आरोपी श्री खुशीराम जाट पुत्र राम अवतार जाट उम्र 26 साल निवासी ग्राम कालानाडा पोस्ट लाम्बाकला तहसील टोडारायसिंह जिला केकडी तत्कालीन पटवारी पटवार हल्का फुलियाकला हाल पटवारी पटवार हल्का अरबड़ तहसील-फुलियाकला जिला शाहपुरा के विरुद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित हैं। भवदीय (कल्पना) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा द्वितीय।.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती कल्पना, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा द्वितीय ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री खुशीराम जाट पुत्र राम अवतार जाट उम्र 26 साल निवासी ग्राम कालानाडा पोस्ट लाम्बाकला तहसील टोडारायसिंह जिला केकडी तत्कालीन पटवारी पटवार हल्का फुलियाकला हाल पटवारी पटवार हल्का अरबड़ तहसील-फुलियाकला जिला शाहपुरा के विरुद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री दीनदयाल वैष्णव, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 282 पर अंकित है। (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1481-84 दिनांक 20-11-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:- 1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाडा। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3- जिला कलक्टर, शाहपुरा 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा द्वितीय। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख द्वारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): DEENDAYAL Rank निरीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम): VAISHNAV (पद):

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to
(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signed by: Gyan Singh
Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 20/11/2024 11:23 AM

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh
Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 20/11/2024 11:21 AM

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियों और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	02/01/1998				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दोत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)